Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIV (54), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

महिला सशक्तिकरण में न्यायपालिका की भूमिका का अध्ययन

विजय लक्ष्मी जोशी*

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय विधि महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना लोकतंत्र के विशेष लक्षणों में से एक है। हमारी सरकार के तीन आवश्यक अंग है– कार्यपालिका, न्यायपालिका, एवं विधायिका। हमारी न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका से पूर्णत: स्वतंत्र है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का जहॉ कार्यपालिका एवं विधायिका द्वारा अतिक्रमण किया गया है वहॉ न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता के माध्यम से कार्यपालिका एवं विधायिका को आवश्यक निर्देश देकर नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा की है। हमारी न्यायपालिका ने देश के शोषित वर्गों विशेषकर महिलाओं को उनके मूल अधिकार दिलाने में, उन्हें शोषण के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करने में उनके सशक्तिकरण में न्यायिक सक्रियता के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसका प्रस्तुत शोध पत्र में वर्णन किया गया है।

शब्द कुंजी – महिला सशक्तिकरण, न्यायपालिका की भूमिका।

प्रस्तावना – न्यायपालिका क्या है?

यह सरकार की एक शाखा होती है जिसमें न्यायिक शक्ति निहित होती है। इसे कानून की अदालतों की एक प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को विधि के अनुसार हल करती है, संविधान का सही निर्वचन करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले लें। अत: एक संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह होती है कि वह 'विधि के शासन' की रक्षा करें और विधि की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करें। भारत में एकीकृत न्यायप्रणाली है जिसमें सर्वोच्च स्थान पर उच्चतम न्यायालय एवं उसके अधीनस्थ कुल 25 उच्च न्यायालय है जो मिलकर भारतीय न्यायपालिका का निर्माण करते है।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ – सशक्तिकरण शब्द स+शक्ति+करण से मिलकर बना है जिसका अर्थ है शक्ति सहित गति। सशक्तिकरण एक निर्बल को सबल बनाने की प्रक्रिया है जो निरन्तर चलती रहती है एक पूर्ण सशक्त व्यक्ति वह है जो अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेनें में पूरी तरह स्वतंत्र हो, जिस पर किसी प्रकार का कोई दवाब न हो। अत: महिला सशक्तिकरण का अर्थ यह हैं कि महिलाओं को इस योग्य बनाना कि वे अपने जीवन के सारे निर्णय स्वयं बिना किसी दवाब के ले सके, उनके अपने जीवन के सभी पहलुओं पर नियंत्रण हो। उन्हें इस योग्य बनाने के लिए निति निर्माण में उनकी बराबर की भागीदारी, राजनीति, व्यापार, समाज के साथ–साथ घर के प्रत्येक निर्णयों में उनकी पुरूषों के समान भागीदारी अत्यंत आवश्यक हैं।

अत: महिला सशक्तिकरण महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत स्तर पर सशक्त बनाने की प्रक्रिया हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को अपने जीवन के सभी पहलुओं पर नियंत्रण प्रदान करना और उन्हें पुरूषों के समान अवसर प्रदान करना है। शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम हैं।

महिला सशक्तिकरण में न्यायपालिका की भूमिका– भारतीय न्यायपालिका ने संविधान के अनुच्छेद 32 एवं 226 के अधीन न्यायिक सक्रियता के माध्यम से भारतीय समाज के विभिन्न शोषित वर्गों के उत्थान में अपना अमिट योगदान दिया है जिसमें महिलाएँ भी शामिल है। संविधान के लागू होने से पहले महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, पुरूषों से पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं था वे पुरूषों की सम्पति मानी जाती थी, महिला सशक्तिकरण का अस्तित्व ना के बराबर था। भारतीय संविधान निर्माताओं ने महिलाओं की इस पतीत स्थिति में सुधार करने के लिए भारतीय संविधान में उन्हें महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए इसके अतिरिक्त भारत में कई ऐसे विशेष कानून पारित किए गए जो महिलाओं को अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त कर सके एवं जो उनकी विभिन्न प्रकार के शोषणों से रक्षा कर सके जैसे – समान वेतन अधिनियम 1976, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005, प्रसूति प्रसुविधा(संशोधन) अधिनियम 2017, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न(निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम 2013, महिलाओं का अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 आदि। इन सब कानूनों के बावजूद भी भारतीय समाज की पितृसतात्मक सोच होने के कारण महिलाओं को इन कानूनों में प्राप्त अधिकार नहीं मिल पाए एवं उनका शोषण होता रहा एवं वे कमजोर होने के कारण अपने अधिकारों के लिए लड़ने में असमर्थ थी, ऐसे में न्यायपालिका ने संविधान के अनुच्छेद 32 एवं 226 के अधीन लोकहितवाद के माध्यम से न्यायिक सक्रियता का उपयोग करके कमजोर एवं शोषित महिलाओं को उनके अधिकार प्रदान किए तथा उनके खिलाफ हो रहे विभिन्न प्रकार के शोषणों के विरूद्ध कार्यपालिका एवं विधायिका को समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए, निम्नलिखित न्याय निर्णयन इसके जीवंत दृष्टांत है।

- **श्रमजीवी महिलाओं का काम के स्थान पर यौन उत्पीड़न से**

संरक्षण :-

वाद- विषाखा विरूद्ध राजस्थान राज्य

के मामलें में न्यायालय ने श्रमजीवी महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए जब तक कि इस प्रयोजन हेतु कोई कानून नहीं बनाया जाता है विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किए है। न्यायालय ने कहा कि देश की वर्तमान आपराधिक विधियॉ या सिविल विधियॉ काम के स्थान पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए पर्याप्त संरक्षण नहीं प्रदान करती है और इसके लिए विधि बनाने में काफी समय लगेगा। अत: जब तक विधान मण्डल कोई विधि नहीं बनाता है तब तक न्यायालय द्वारा विहित निर्देशों को ही लागू किया जाएगा। इस मामलें में महिलाओं के अनुच्छेद 14,19 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को लागू करानें के लिए विशाखा नामक एक गैर सरकारी संस्था ने लोकहितवाद दायर कर समुचित दिशा निर्देश देने का निवेदन किया। वाद दायर करने का तत्काल कारण राजस्थान राज्य में एक सामाजिक महिला कार्यकर्ता के सामूहिक बलात्कार की घटना थी।

- **महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए प्रतिकर एवं पुनर्वास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत :-**

वाद- दिल्ली डोमेस्टीक वर्किंग वुमेंस फोरम विरूद्ध भारत संघ

के मामलें में न्यायालय ने महिलाओं के साथ बढ़ते हुए यौन अपराधों के प्रति गंभीर चिन्ता व्यक्त की तथा ऐसे मामलों के शीघ्र परीक्षण तथा उन्हें प्रतिकर प्रदान करने एवं उनके पुनर्वास के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किए। इस मामलें में दिल्ली श्रमजीवी फोरम ने लोकहितवाद के माध्यम से चार घरेलू श्रमजीवी महिलाओं के साथ सेना के जवानों द्वारा बलात्कार की घटना को रोकने के लिए और सरकार को समुचित निर्देश देने के लिए याचिका दायर की।

- **बलात्कार से पीड़ित महिला का अंतरिम प्रतिकर पाने का अधिकार :-**

वाद- बोधीसत्व गौतम विरूद्ध शुभ्रा चक्रवर्ती

के मामलें में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया हैं कि न्यायालय को बलात्कार की शिकार महिला को अंतरिम प्रतिकर देने की शक्ति है जब तक कि परीक्षण न्यायालय अभियुक्त के ऊपर लगाए आरोप पर अपना निर्णय नहीं दे देता है।

- **एकान्तता का अधिकार :-**

वाद- महाराष्ट्र राज्य विरूद्ध मधुकर नारायन

के मामलें में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक चरित्रहीन महिला को भी एकांतता का अधिकार प्राप्त हैं, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

वाद- सुरजित सिंह विरूद्ध जीत कौर

के मामले न्यायालय ने यह निर्णीत किया कि महिला के कौमार्य परीक्षण के लिए अनुमति देना अनुच्छेद 21 के अधीन प्रदत्ता उसके एकांतता के अधिकार का उल्लंघन है।

- **स्वेच्छा से विवाह करने का अधिकार :-**

वाद- लता सिंह विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य

में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक वयस्क बालिका को अपनी स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन प्रदत्ता उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार है।

- **महिलाओं के प्रति केवल लिंग के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध :-**

वाद- एयर इण्डिया विरूद्ध नरगिस मिर्जा

के वाद में उच्चतम न्यायालय ने एयर इण्डिया और इण्डियन एयर लांइस द्वारा बनाए गए विनियमों को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि उनके अधीन 35 वर्ष की आयु में विवाह होने पर या गर्भवती होने पर सेवामुक्ति करने वाली सेवा शर्त अयुक्तियुक्त और विभेदकारी हैं तथा अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करती है।

वाद- अनुज गर्ग विरूद्ध भारत का होटल संघ

के वाद में पंजाब सरकार के एक अधिनियम की धारा 30 जिसके अधीन होटल या बार में शराब परोसने के कार्य में महिलाओं के नियोजन पर रोक लगा दी, को चुनौती देने पर न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उक्त अधिनियम स्त्री और पुरूष में लिंग के आधार पर भेद करता है, अत: अवैध है।

- **महिलाओं के प्रति अनुच्छेद 15(3) के अधीन सकारात्मक भेदभाव :-**

वाद- विजय लक्ष्मी विरूद्ध पंजाब विश्वविद्यालय

के मामले में विश्वविद्यालय कैलेण्डर के एक नियम के तहत महिला विद्यालयों में प्राचार्य के पद पर केवल महिलाओं की नियुक्ति के प्रावधान को चुनौती देने पर न्यायालय ने यह निर्णीत किया कि यह नियम अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं है क्योंकि इसके अधीन किया गया वर्गीकरण युक्तियुक्त है, इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 15(3) के अधीन राज्य को स्त्रियों के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति हैं।

वाद- दत्तात्रेय विरूद्ध स्टेट

के मामलें मे न्यायालय ने यह कहा कि राज्य द्वारा केवल स्त्रियों के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना एवं उसमें उनके लिए स्थान आरक्षित करना अनुच्छेद 15(1) का अतिक्रमण नहीं है।

वाद- यूसुफ अब्दुल अजीज विरूद्ध बंबई राज्य

में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 497 की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती देने पर कि यह जारकर्म के अपराध के लिए केवल पुरूष को दण्डित करती है स्त्री को नहीं, अत: लिंग के आधार पर विभेद करने के कारण यह अनुच्छेद 15(1) का अतिक्रमण करती है। न्यायालय ने निर्णीत किया कि धारा 497 वैध है क्योंकि वर्गीकरण केवल लिंग के आधार पर नहीं बल्कि समाज में स्त्रियों की विशेष स्थिति के आधार पर किया गया हैं।

वाद- टी. सुधाकर रेडडी विरूद्ध आ. प्र. राज्य

में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 15(3), 16(2), 16(4) के अधीन सरकारी नौकरियों में स्त्रियों को यदि वे पुरूषों के समान योग्य एवं उनकी अपेक्षा अधिक उपयुक्त है तो राज्य को उन्हें प्राथमिकता देनें की शक्ति प्राप्त है।

- **तलाकशुदा मुस्लिम महिला का ईददत की अवधि के बाद भी अपने पति से भरण-पोषण का अधिकार :-**

वाद- डैनियल लतीफी विरूद्ध भारत संघ

में न्यायालय ने पुन: शाहबानो के मामले को जीवित करते हुए निर्णित किया कि एक मुस्लिम तलाकशुदा स्त्री अपने पूर्व पति से इददत की अवधि के बाद भी जब तक कि उसका पुर्नविवाह नहीं हो जाता, भरण-पोषण की हकदार है।

वाद- नूरशाबा खातून विरूद्ध मोहम्मद कासिम
के मामलें में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को अपने बच्चों के लिए जब तक कि वे बालिग नहीं हो जाते है, पति से भरण-पोषण पाने का अधिकार है।

वाद- बाई ताहिरा विरूद्ध अली हुसैन
के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अवलोकन किया कि तलाकशुदा पत्नी द्वारा भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार अधिनियमित अधिकार है और इसे मुस्लिम विधि के नियमों से पराजित नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष – निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि भारत में महिला सशक्तिकरण में न्यायपालिका ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहॉ विधायिका और कार्यपालिका महिलाओं को न्याय प्रदान करने में विफल रही है वहॉ न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता के माध्यम से महिलाओं को न्याय दिलाया है, चाहे वह महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन शोषण का मामला हो, तलाकशुदा मुस्लिम महिला के भरण-पोषण का मामला हो, एक समान सिविल संहिता का मामला हो या तीन तलाक का मामला हो। तत्कालीन समय में इन विषयों पर कोई कानून नहीं होने के कारण महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ते जा रहे थे एवं कार्यपालिका कानून के अभाव में इन्हें रोकने में असमर्थ थी ऐसे में न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता के माध्यम से इन अत्याचारों को रोकने के लिए दिशा निर्देश दिए जो अनुच्छेद 141 के अधीन विधि के समान प्रभावशाली थे। अत: विधि की अभाव में महिलाओं को न्याय दिलाने, उन्हें अधिकार प्रदान कर सशक्त करनें में न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महिला सशक्तिकरण में न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका से अधिक सक्रिय एवं संवेदनशील है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पाण्डेय, डॉ. जय नारायण(2009) *भारत का संविधान.* 42वॉ संस्करण। इलाहाबाद: सेंट्रल लॉ एजेंसी.
2. NEXT IAS Content Team(2024) *भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता* (ऑनलाइन)। यहॉ उपलब्ध हैं: https://www.nextias.com/blog. (एक्सेस: 13 अप्रैल 2024).
3. अहमद, अकील(1989) *मुस्लिम विधि.* सत्रहवा संस्करण। इलाहाबाद: सेंट्रल लॉ एजेंसी.
4. गौतम, श्रुति(2023) *भारत में महिला सशक्तिकरण* (ऑनलाइन)। यहॉ उपलब्ध हैं: https://www.drishtiias.com/hindi/blog/women-employment-in-india. (एक्सेस: 15 अप्रैल 2024)

****